रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2016] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 11, 2012/आश्विन 19, 1934
No. 2016] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 11, 2012/ASVINA 19, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2012

का.आ. 2434(अ).— केन्द्रीय सरकार ने आस्ट्रेलिया की सरकार के साथ आस्ट्रेलिया में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में समन या वारंट की तामील या उसके निष्पादन के लिए ठहराव किया है, अतः केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अनुसरण में यह विनिर्दिष्ट करती है कि -

(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति को समन ; या

(ख) अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट ; या

(ग) किसी व्यक्ति से उसके हाजिर होने और कोई दस्तावेज या अन्य चीज़ पेश करने या उन्हे पेश करने की अपेक्षा करने वाला समन ; या

(घ) तलाशी वारंट -,

भारत में किसी न्यायालय द्वारा, दो प्रतियों में, आस्ट्रेलिया में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार रखने वाले उस देश के न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को, आस्ट्रेलिया सरकार में केन्द्रीय प्राधिकारी के माध्यम से उसमें नामित व्यक्ति पर ऐसे समन की तामील या ऐसे वारंट का निष्पादन करने के लिए जारी किया जा सकेगा ।

2. केन्द्रीय सरकार यह और निदेश देती है कि ऐसा समन या वारंट आस्ट्रेलिया के केन्द्रीय प्राधिकारी को पारेषित किए जाने के लिए गृह मंत्रालय के आई.एस.- II प्रभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा जाएगा ।

[फा. सं. 12015/3/2012-पी.पी.-III]

लोकेश झा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2012

S.O. 2434(E).— Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of Australia for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in Australia and therefore, in pursuance of clause (ii) of sub-section (1) of section 105 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that –

(a) a summons to an accused person; or

(b) a warrant for the arrest of an accused person; or

(c) a summons to any person requiring him to attend and produce a document or other thing, or to produce it; or

(d) a search-warrant,

may be issued by a court in India, in duplicate, to the Court, Judge or Magistrate having authority, under the law in force in that country, through the Central Authority in the Government of Australia directing that Court, Judge or Magistrate to serve such summons or execute such warrant on the person named therein.

2. The Central Government further directs that such summons or warrant shall be sent to IS-II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, for transmission to the Central Authority in Australia.

[F. No. 12015/3/2012-PP-III]

LOKESH JHA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2012

का.आ. 2435(अ).— केन्द्रीय सरकार ने आस्ट्रेलिया की सरकार के साथ आस्ट्रेलिया में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में समन या वारंट की तामील या उनके निष्पादन के लिए ठहराव किया है । अतः अब केन्द्रीय संरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105 की उपधारा (2) के अनुसरण में, आस्ट्रेलिया के ऐसे सक्षम न्यायलय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को, जिसे उस देश में प्रवृत्त विधि के अधीन किसी अभियुक्त व्यक्ति को समन या किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट या किसी व्यक्ति के हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की अपेक्षा करने वाला समन जारी करने के लिए प्राधिकार है, ऐसे न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जो आपराधिक मामलों के संबंध में भारत में निवास कर रहे व्यक्तियों को ऐसे समन या वारंट जारी कर सकेगा ।

2. केन्द्रीय सरकार यह और निदेश देती है कि ऐसी दशा में जहां आस्ट्रेलिया की सरकार से प्राप्त समन या तलाशी वारंट का निष्पादन किया गया है, वहां पेश किए गए दस्तावेज और चीजें या तलाशी के दौरान मिली चीजें, समन या तलाशी वारंट जारी करने वाले न्यायालय को पारेषित किए जाने के लिए आस्ट्रेलिया में केन्द्रीय प्राधिकारी को गृह मंत्रालय के आई.एस.- II प्रभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से भेजी जाएंगी ।

[फा. सं. 12015/3/2012-पी.पी.-III]

लोकेश झा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2012

S.O. 2435(E).— Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of Australia for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in Australia and therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 105 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies that a competent Court, Judge or Magistrate in Australia having authority, under the law in force in that country, to issue a summons to an accused person, or a warrant for the arrest of an accused person, or summons to any person requiring him to attend and produce a document

or other thing, or to produce it, as the Court by which such summons or warrant may be issued to persons residing in India in relation to criminal matters.

2. The Central Government further directs that in a case where a summons or a search warrant received from the Government of Australia has been executed, the documents or things produced or things found in the search shall be forwarded to the Court issuing the summons or search warrant through IS-II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, for transmission to the Central Authority in Australia.

[F. No. 12015/3/2012-PP-III]

LOKESH JHA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2012

का.आ. 2436(अ).— केन्द्रीय सरकार ने आस्ट्रेलिया की सरकार के साथ आस्ट्रेलिया में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में समन या वारंट की तामील या उनके निष्पादन के लिए ठहराव किया है । अतः केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ख की उपधारा (1) के अनुसरण में, यह निदेश देती है कि भारत में किसी न्यायालय का किसी व्यक्ति को हाजिर करने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए गिरफ्तारी के लिए आस्ट्रेलिया के किसी स्थान में निष्पादित किया जाने वाला वारंट इससे उपाबद्ध प्ररूप में जारी किया जाएगा और ऐसा वारंट दो प्रतियों में आस्ट्रेलिया के केन्द्रीय प्राधिकारी को भेजे जाने के लिए गृह मंत्रालय के आई.एस.- II प्रभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा जाएगा ।

प्ररूप

साक्षी को लाने के लिए वारंट

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 105ख देखिए)

प्रेषिती

आस्ट्रेलिया में न्यायालय/ न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट
आस्ट्रेलिया के केन्द्रीय प्राधिकारी के माध्यम से

मेरे समक्ष यह परिवाद किया गया है कि ....(पता) के....................................(अभियुक्त का नाम और वर्णन) ने..............................(अपराध का संक्षेप में उल्लेख कीजिए) का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और यह संभावना प्रतीत होती है कि ....(साक्षी का नाम और वर्णन) उक्त परिवाद से संबंधित साक्ष्य दे सकता है ; और यह प्रतीत होता है कि उक्त साक्षी आपकी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास कर रहा है ;

और मेरे पास यह विश्वास करने का ठोस और पर्याप्त कारण है कि उक्त साक्षी तब तक हाजिर नहीं होगा या निम्नलिखित दस्तावेज या अन्य चीजे पेश नहीं करेगा/पेश करेगी जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए विवश न किया जाए :

(i) (यहां उन दस्तावेजों या चीजों की सूची दी जानी है जो पेश की जानी हैं)

मुझे ....यह अनुरोध करना है और इसके द्वारा मैं यह अनुरोध करता हूं कि उपर्युक्त कारणों से और उक्त न्यायालय की सहायता के लिए आप उक्त (साक्षी का नाम) को गिरफ्तार कराएंगे और ऐसे व्यक्ति से उपरोक्त सूचीबद्ध दस्तावेज या चीज जो उसके कब्जे में हैं, पेश करने की अपेक्षा भी करेंगे तथा उस व्यक्ति को अभिरक्षा में लिए गए दस्तावेजों या चीजों सहित गृह मंत्रालय के आई.एस.- II प्रभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के पास भेजेंगे ।

3867 GI/12-2

तारीख.....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा के अधीन प्रदत्त किया गया ।

न्यायालय की मुद्रा न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

[फा. सं. 12015/3/2012-पी.पी.-III]

लोकेश झा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2012

S.O. 2436(E).—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of Australia for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in the Australia, and therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 105 B of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that a warrant for arrest of a person to attend or produce a document or other thing issued by a Court in India and to be executed by a Competent Court, Judge or Magistrate in any place in Australia shall be issued in the Form annexed hereto and such warrant shall be sent in duplicate to IS-II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, for transmission to the Central Authority in Australia.

FORM

WARRANT TO BRING UP A WITNESS

(See section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973)

To

The Court ----------/Judge or Magistrate
in the Government of Australia).

(Through the Central Authority, the Government of Australia).

Whereas complaint has been made before me that (name and description of the accused) of (address) has (or is suspected to have) committed an offence of (mention the offence concisely), and it appears to me that (name and description of witness) is likely to give evidence concerning the said complaint; and, whereas, it appears that the said witness is residing within the local limits of your jurisdiction;

And whereas, I have good and sufficient reason to believe that the said witnesses may not attend or produce the following documents or other things unless compelled to do so:

(i) (The list of documents or things to be produced are to be given here).

I, ----------, have the honour to request and hereby do request that for the reasons aforesaid and for the assistance of the said Court, you will be pleased to cause the said (Name of the witness) to be arrested and also require such person to produce the document or things listed above, which may be in his/her possession and to forward the person in custody along with the documents or things to the undersigned through IS-II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.

Given under my hand and the seal of the Court this----------day of----------20 ----.

Seal of the Court

Signature of the Judge/
Magistrate

[F. No. 12015/3/2012-PP-III]

LOKESH JHA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2012

का.आ. 2437(अ).—केन्द्रीय सरकार ने आस्ट्रेलिया की सरकार के साथ आस्ट्रेलिया में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में समन या वारंट की तामील या उसके निष्पादन के लिए ठहराव किया है, अत: केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ख की उपधारा (2) के अनुसरण में यह निदेश देती है कि किसी आपराधिक मामले में अन्वेषण या जांच के दौरान किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए आस्ट्रेलिया में किसी स्थान पर तामील या निष्पादित किए जाने वाले, यथास्थिति, समन या वारंट, इससे उपाबद्ध, यथास्थिति, प्ररूप 'क' या 'ख' में जारी किए जाएंगे और ऐसे समन या वारंट आस्ट्रेलिया में केन्द्रीय प्राधिकारी को पारेषित किए जाने के लिए गृह मंत्रालय के आई.एस.- II प्रभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे ।

प्ररूप-क

साक्षी को समन

[दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 105ख की उपधारा (2) देखिए]

सेवा में

(आस्ट्रेलिया में केन्द्रीय प्राधिकारी के माध्यम से)

मेरे समक्ष यह आवेदन किया गया है कि.....(अभियुक्त का नाम) (पता).....ने..... (समय और स्थान सहित अपराध का संक्षेप में उल्लेख कीजिए) का अपराध किया है (या संदेह है कि) उसने अपराध किया है, और मुझे यह प्रतीत होता है कि यह संभावना है कि आप अभियोजन के लिए तात्विक साक्ष्य दे सकते हैं या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश कर सकते हैं ।

इसके द्वारा आपको समन किया जाता है कि ऐसा दस्तावेज या चीज पेश करने या उक्त आवेदन के विषय से संबंधित आप जो कुछ जानते हैं, उसका साक्ष्य देने के लिए न्यायालय के समक्ष..... तारीख को..... पूर्वाह्न/अपराह्न में हाजिर हों और उसके पश्चात् न्यायालय के आदेश के बिना न जाएं, और यदि आप उक्त तारीख को न्यायसंगत हेतुक के बिना हाजिर होने में उपेक्षा करेंगे या उससे इंकार करेंगे, तो आपको हाजिर कराने के लिए वारंट जारी किया जाएगा ।

तारीख..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा के अधीन प्रदत्त किया गया ।

न्यायालय की मुद्रा

न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

प्ररूप ख

साक्षी को लाने के लिए वारंट

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 105ख की उपधारा (2) देखिए)

सेवा में

आस्ट्रेलिया में न्यायालय/ न्यायाधीश/ मजिस्ट्रेट
आस्ट्रेलिया में केन्द्रीय प्राधिकारी के माध्यम से

मेरे समक्ष आवेदन किया गया है कि .....(अभियुक्त का नाम और वर्णन)..... (पता).....ने..... (समय और स्थान सहित अपराध का संक्षेप में उल्लेख कीजिए) का अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है), और मुझे यह प्रतीत होता है कि यह संभावना है कि.....(साक्षी का नाम और वर्णन) अभियोजन के लिए तात्विक साक्ष्य देगा या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करेगा ;

और उक्त साक्षी आपकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर निवास कर रहा है ;

और मेरे पास विश्वास करने का ठोस और पर्याप्त कारण है कि उक्त साक्षी उक्त मामले के अन्वेषण या जांच में जब तक हाजिर नहीं होगा तब तक कि उसे ऐसा करने के लिए विवश न किया जाए ;

3887 GI/12-3

मुझे.....यह अनुरोध करना है और इसके द्वारा मैं यह अनुरोध करता हूं कि उपर्युक्त कारणों से और उक्त न्यायालय की सहायता के लिए आप उक्त.....(व्यक्ति का नाम) को गिरफ्तार कराएंगे और गृह मंत्रालय के आई.एस.- II प्रभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अभिरक्षा में भेजेंगे ।

तारीख.....को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा के अधीन प्रदत्त किया गया ।

न्यायालय की मुद्रा

न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

[फा. सं. 12015/3/2012-पी.पी.-III]

लोकेश झा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2012

S.O. 2437(E).— Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of Australia for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in Australia, and therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that a summons or warrant, as the case may be, against a person who is in any place in Australia and required in connection with the investigation or inquiry of an offence in any criminal case in India shall be issued in duplicate in Form A or, as the case may be, in Form B annexed hereto, and such summons or warrant, as the case may be, shall be sent to IS-II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi for transmission to the Central Authority in Australia.

FORM - A

SUMMONS TO WITNESS

[See sub-section (2) of section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973]

To

(Through the Central Authority in the Government of Australia)

Whereas an application has been made before me that (Name of the accused) of (address) has (or is suspected to have) committed the offence of (state the offence concisely with time and place) and it appears to me that you are likely to give material evidence or to produce any document or other thing for the prosecution;

You are hereby summoned to appear before the Court on the ----------day of----------at ----------AM/PM to produce such document or thing or to testify what you know concerning the matter of the said application, and not to depart then without the order of the Court, and you are hereby warned that, if you shall without just cause neglect or refuse to appear on the said date, a warrant will be issued to compel your attendance.

Given under my hand and the seal of the Court this ----------day of ----------201 ....

Seal of the Court Signature of the Judge/Magistrate

FORM - B

WARRANT TO BRING UP A WITNESS

[See sub-section (2) of section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973]

To

The Court/Judge/Magistrate in the Government of Australia

(Through the Central Authority in the Government of Australia)

Whereas, an application has been made before me that ----------(name and description of the accused)----------of (address) has (or is suspected to have)

committed an offence of ----------(state the offence concisely with time and place) and it appears to me that --------(name and description of witness) is likely to give material evidence or to produce any document or other thing for the prosecution;

And whereas, the said witness is residing within the local limits of your jurisdiction;

And whereas, I have good and sufficient reason to believe that the said witnesses will not attend the investigation or inquiry of the said case unless compelled to do so;

I, ----------, have the honour to request and hereby do request that for the reasons aforesaid and for the assistance of the said Court, you will be pleased to cause the said ---------- (name of person) to be arrested and to forward the said person in custody to the undersigned, through IS-II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.

Given under my hand and the seal of the Court this ----------day of ---------20 .

Seal of the Court

Signature of the
Judge/Magistrate

[F. No. 12015/3/2012-PP-III]

LOKESH JHA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2012

का.आ. 2438(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, आस्ट्रेलिया की सरकार के साथ भारत के न्यायालयों में आपराधिक मामलों के संबंध में आस्ट्रेलिया में निवास कर रहे साक्षियों का साक्ष्य लेने के लिए ठहराव किया है, अतः अब केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 285 की उपधारा (3) के अनुसरण में यह विनिर्दिष्ट करती है कि -

(क) आस्ट्रेलिया में साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन भारत के न्यायालयों द्वारा इससे उपाबद्ध प्ररूप में आस्ट्रेलिया के किसी सक्षम दण्ड न्यायालय को, जिसे आस्ट्रेलिया में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार प्राप्त है, जारी किया जाएगा ; और

(ख) ऐसा कमीशन, आस्ट्रेलिया में केन्द्रीय प्राधिकारी को पारेषित किए जाने के लिए गृह मंत्रालय के आई.एस. - II प्रभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजा जाएगा ।

प्ररूप

भारत से बाहर साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 285 की उपधारा (3) देखिए)

न्यायालय.........................

....

सेवा में

....

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से)

3867 GI/12-4

मुझे यह प्रतीत होता है कि मामला संख्या..... .....बनाम.....न्यायालय..... में.....का न्याय के उद्देश्य से साक्ष्य आवश्यक है और ऐसा साक्षी आपकी अधिकारिता की स्थानीयों सीमाओं के भीतर निवास कर रहा/रही है, और उसकी उपस्थिति को अयुक्तियुक्त विलंब, व्यय या असुविधा के बिना उपाप्त नहीं किया जा सकता है, मैं इसके द्वारा यह अनुरोध करता हूँ कि आप उपरोक्त कारणों से और उक्त न्यायालय की सहायता के लिए उक्त साक्षी को ऐसे समय और स्थान पर जो आप नियत करें, हाजिर होने के लिए समन करें और ऐसे साक्षी की परीक्षा उन परिप्रश्नों (मौखिक परीक्षा के लिए) के आधार पर करवाएं जो इस कमीशन के साथ भेजे जा रहे हैं ;

कार्यवाही का कोई पक्षकार आपके समक्ष अपने काउन्सेल या अभिकर्ता द्वारा या यदि अभिरक्षा में नहीं है तो स्वयं हाजिर हो सकेगा और उक्त साक्षी की (यथास्थिति) परीक्षा, प्रतिपरीक्षा या पुनःपरीक्षा कर सकेगा ;

और, मैं, आपसे यह और अनुरोध करता हूं कि आप उक्त साक्षी के उत्तर लेखबद्ध करवाएं और सभी बहियों, पत्रों, कागजों और दस्तावेजों को, जो ऐसी परीक्षा के दौरान पेश किए जाएं, पहचान के लिए सम्यक् रूप से चिन्हित कराएं और आपसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि आप ऐसी परीक्षा को अपनी सरकारी मुद्रा और अपने हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित करें और उसे इस कमीशन के साथ अधोहस्ताक्षरी को गृह मंत्रालय के आई.एस.- II प्रभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से भेजें ।

तारीख.....20..... को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन प्रदत्त किया गया ।

न्यायालय की मुद्रा

न्यायाधीश/मजिस्ट्रेट के
हस्ताक्षर

[फा. सं. 12015/3/2012-पी.पी.-III]
लोकेश झा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2012

S.O. 2438(E).— Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of Australia for taking the evidence of witnesses residing in Australia in relation to criminal matters in the Courts in India and therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 285 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that –

(a) the Commission for examination of witnesses in Australia shall be issued by the Courts in India in the Form annexed hereto, to any competent Criminal Court of Australia having authority under the law in force in Australia; and

(b) such Commission shall be sent to IS-II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi for transmission to the Central Authority in the Government of Australia.

FORM

COMMISSION TO EXAMINE WITNESS OUTSIDE INDIA

[See sub-section (3) of section 285 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)]

IN THE COURT OF-----------------------

To

(Through the Ministry of Home Affairs,
Government of India,
New Delhi.)

Whereas it appears to me that the evidence of -------------------------- is necessary for the ends of justice in case No. ----------------------, Vs.-------------------------

3867GI/12-5

-----in the Court of ---------- and that such witness is residing within the local limits of your jurisdiction and his/her attendance cannot be procured without unreasonable delay, expense or inconvenience, I, have the honour to request and do hereby request that for the reasons aforesaid and for the assistance of the said Court, you will be pleased to summon the said witness to attend at such time and place as you shall appoint and that you will cause such witness to be examined upon the interrogatories which accompany this Commission (for viva voce);

Any party to the proceeding may appear before you by his/her Counsel or agent or, if not in custody, in person, and may examine, cross-examine or re-examine (as the case may be) the said witness;

And, I, further have the honour to request that you will be pleased to cause the answers of the said witness to be reduced into writing and all books, letters, papers and documents produced upon such examination to be duly marked for identification and that you will be further pleased to authenticate such examination by your official seal and signature and to return the same together with this Commission to the undersigned through IS-II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.

Given under my hand and the seal of the Court this---------- day of----------20 .

Seal of the Court

Signature of the Judge/Magistrate

[F. No. 12015/3/2012-PP-III]

LOKESH JHA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2012

का.आ. 2439(अ).— केन्द्रीय सरकार ने आस्ट्रेलिया के साथ आस्ट्रेलिया में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में समन या वारंट की तामील या उनके निष्पादन के लिए ठहराव किया है, अतः, अब केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 290 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में, आस्ट्रेलिया में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले ऐसे सभी न्यायालयों, न्यायाधीशों, या मजिस्ट्रेटों को, जिन्हें आस्ट्रेलिया में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार प्राप्त है, ऐसे न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिनके द्वारा भारत में निवास कर रहे साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी किया जा सकेगा ।

[फा. सं. 12015/3/2012-पी.पी.-III]

लोकेश झा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2012

S.O. 2439(E).— Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of Australia for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in Australia and therefore, in pursuance of clause (b) of sub-section (2) of section 290 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies all Courts, Judges or Magistrates exercising jurisdiction in Australia and having authority under the law in force in Australia as the Courts, Judges or Magistrates by whom Commission for the examination of witnesses residing in India may be issued.

[F. No. 12015/3/2012-PP-III]

LOKESH JHA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2012

का.आ. 2440(अ).— केन्द्रीय सरकार ने आस्ट्रेलिया के साथ आस्ट्रेलिया में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में समन या वारंट की तामील या उनके निष्पादन के लिए ठहराव किया है, अतः अब केन्द्रीय सरकार, दण्ड.प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त संहिता के अध्याय 7क के उपबंध आस्ट्रेलिया के संबंध में बिना किसी शर्त, अपवाद या प्रतिबंध के इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

[फा. सं. 12015/3/2012-पी.पी.-III]

लोकेश झा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2012

S.O. 2440(E).— Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of Australia for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in Australia, and therefore, in exercise of the powers conferred by section 105L of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that the provisions of Chapter VIIA of the said Code shall apply without any condition, exception or qualification in relation to Australia with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. 12015/3/2012-PP-III]

LOKESH JHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054